ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/CG/LA BR/2015-CCS　　　　　　　　Dated: 18th September, 2015

To

The Secretary,
Railway Board,
Rail Bhavan
New Delhi

Subject:-Violation of Model Code of Conduct –regarding

Sir,

I am directed to refer to your letter No. TCH/2221/15/VIP/12 dated 16th November, 2015, on the subject cited and to state that pursuant to examination of the issue, the Commission has directed as under:-

(i) Information be provided as to (i) the movement of the special trains even after the enforcement of Model Code of Conduct (MCC) at 02.30 PM on 09th September 2015 and (ii) why no permission was taken in regard to such movement even after the enforcement of MCC; and

(ii) To ensure that during the period of operation of the Model Code of Conduct i.e. 09.09.2015 to 12.11.2015 **no special concession** be allowed in respect of any special trains leaving from any station in Bihar or coming to any station in Bihar from outside the State without prior permission of the Commission.

Yours faithfully,

(K.AJAYA KUMAR)
PRINCIPAL SECRETARY

संसद सदस्य
(राज्य सभा)

दिनांक:- 13/09/2015

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त
निर्वाचन सदन
नई दिल्ली -110001

<u>विषय:- रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता (बिहार आम चुनाव-2015) की अवहेलना कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन के शुल्क में कन्सेशन देने के गंभीर मामले की जाँच एवं दोषी पर कार्रवाई के सम्बन्ध में.</u>

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 07.09.2015 को पटना से रायपुर के लिए स्पेशल ट्रेन
संख्या-208 अप एवं 207 डाउन, जिसमे 18 कोच है और प्रत्येक कोच में 72 यात्रियों के बैठने की क्षमता
है, को शरद जोशी (सेक्रेटरी सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट सुसाईटी, जयपुर) के द्वारा
बुक कराया गया है. इसमें संजय कुमार राय द्वारा उक्त राशि नगद जमा की गयी है. उक्त शरद जोशी
राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े हैं और उक्त संस्था के सेक्रेटरी हैं. इसी तरह दिनांक 09.09.2015 को ट्रेन
संख्या 201 अप एवं 202 डाउन स्पेशल ट्रेन चलाई गयी जिसके भुगतानकर्ता के रूप में संजय राय का
नाम लिखा हुआ है. दोनों ट्रेन दिनांक 12.09.2015 एवं 14.09.2015 को वापस लौटेगी.

पटना से जो स्पेशल ट्रेन रायपुर एवं मुंबई के लिए गयी है उनमे बिहार के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता
युवक हैं जो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं के संपर्क में रहकर प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण
के पश्चात बिहार आकर भाजपा के पक्ष में गांव में प्रचार कर लोगों को आकर्षित करेंगे. इस प्रकार
उपरोक्त व्यक्तियों का चुनावी प्रचार में उपयोग होगा एवं केंद्र सरकार द्वारा इसमें किसी को अनुचित
लाभ नहीं देना चाहिए. परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि रेलवे बोर्ड द्वारा इन ट्रेनों के शुल्क में 60 प्रतिशत
का विशेष कन्सेशन दिया गया है. उपर्युक्त के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निम्नवत हैं:-

पटना जक्शन से खुले दो विशेष ट्रेनों (रायपुर एवं क्षत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई) को श्री शरद जोशी
(सेक्रेटरी सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसलटेंट सुसाइटी, जयपुर के द्वारा वास्ते श्री
संजय कुमार राय, सलेमपुर डुमरा, राजा बाजार, पोस्ट-बी.वी. कॉलेज, पटना-14 (मोबाइल संख्या-
9430000399) के द्वारा पटना जं. से बुक कराये गए. इन ट्रेनों में रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा
स्पेशल ग्रांट 60% कन्सेशन का पत्र श्री विक्रम सिंह, डाइरेक्टर फॉर पैसेंजर मार्केटिंग रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
रेलवे बोर्ड के द्वारा निम्नलिखित चार ट्रेनों के लिए भेजा गया है.

1- पटना से रायपुर (दिनांक-07.09.2015)
2- पटना से मुंबई (दिनांक 09.09.2015)

--//cont...//--

MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

सत्यमेव जयते

3- पटना से भोपाल (दिनांक 11.09.2015)

4. पटना से जयपुर (दिनांक- 13.09.2015)

यह पत्र पत्रांक- TC II/2221/15/VIP/12 दिनांक 04.09.2015 को असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजर फॉर सी.पी.टी.एम. (चीफ पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर), दिल्ली की ओर से ECR, हाजीपुर को भेजा गया है. चीफ बुकिंग सुपरिंटेंडेंट, पटना ज. को प्राप्त प्रांसगिक पत्र का मेमो नंबर-ECR/OPT/ECV 508/HJP SPL/01/15-16 है. इस आधार पर दिनांक 05.09.2015 को टिकट संख्या 003563 दिनांक 05.09.2015 पटना से रायपुर राशि 37,22,290/- एम.आर. संख्या-97784705 दिनांक 01.09.2015 से 10 लाख रुपया अग्रिम सिक्योरिटी भी जमा किया गया. राशि 37,22,290 /- पूरा भाड़ा है जिसमे से 8,03,520 /- कन्सेशन के रूप में पक्षकार को वापस होगा.

दूसरी ट्रेन का टिकट संख्या -003564 दिनांक 08.09.2015 है जो पटना से सी.एस.टी. (मुंबई) है जिसमे 31,41,060 /- रूपये लगे हैं, इसमें भी 10 लाख रुपया अग्रिम सिक्योरिटी दिनांक 01.09.2015 को एम. आर. संख्या - 97784704 से जमा किया गया. इसमें कन्सेशन की राशि 10,44,575 /- रूपये होगी. चुनावी कार्य में लगे लोगों के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा विशेष छूट देना गलत और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत है.

इस विशेष चार ट्रेनों को लेने का आवेदन श्री शरद जोशी ने अपने संस्थान से यह कहकर दिया है कि "डेवलपमेंट वर्क बीइंग कैरेड बाई दी सोसाइटी" यद्यपि कि यह विशुद्ध रूप से बिहार में चुनावी कार्यो के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने से सम्बंधित हैं एवं आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लघन है.

अनुरोध है कि निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त गंभीर अवहेलना के मामले की कृपया निर्वाचन आयोग के स्तर पर तत्काल जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए.

धन्यवाद,

भवदीय,

के.सी. त्यागी,
एम.पी (जदयू)

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
प्रवक्ता(कांग्रेस)

के.टी.एस. तुलसी
(एडवोकेट),एम.पी

पवन वर्मा,
एम.पी. (जदयू)

मनोज झा,
प्रवक्ता (राजद)